न्यायालय सहायक कलेक्टर (एस.डी.ओ.) बालोतरा

पीठासीन अधिकारी : श्री नरेश सोनी, आर.ए.एस

राजस्व वाद संख्या /2021

वादी :–

सकाराम पुत्र वरदाराम जाति मेगवाल निवासी रामसीन तहसील पचपदरा जिला बाडमेर ।

बनाम

प्रतिवादीगण :–

सरकार जरिये भू –धारक तहसीलदार पचपदरा

राजस्व वाद अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 वास्ते घोषणा व दुरूस्ती

उपस्थिति :– 1. श्री सकाराम स्वंय वादी।
2.. पेरोकार सरकार प्रतिवादीगण संख्या 1

निर्णय

दिनांक :– 09-10-2021

वादी के द्वारा वादपत्र के सक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि वादी की खातेदारी व कब्जा काश्त की भूमि खेत खसरा नं 208 रकबा 7–18 बीघा, सरहद मौजा रामसीन, पटवार क्षेत्र रामसीन भू अभिलेख निरीक्षक क्षेत्र बालोतरा तहसील पचपदरा मे स्थित है जिस पर वादी का कब्जा काश्त है। वादी के बचपन में लाड प्यार से बोले जाने वाला नाम शंकर होने से राजस्व रेकर्ड में शंकरलाल पुत्र वरदा दर्ज किया गया, जबकि वादी का अन्य सभी दस्तावेजात भारत सरकार द्वारा जारी आधार कार्ड संख्या 685076929662, जन आधार कार्ड संख्या 4573216651 मतदाता परिचय पत्र संख्या एसएसबी/0491738, राशन कार्ड संख्या 0087334100484, ~~झाईविंग~~ सकाराम पुत्र वरदाराम दर्ज है। वादी को किसान कार्ड बनाने, किसान अनुदान लेने, अन्य सरकारी योजनाओं का फायदा प्राप्त करने में कई कठिनाईयों का सामना करना पड रहा है। वादी नें

Signature Not Verified

Digitally signed by Naresh Soni
Date: 2022.05.14 18:42:25 IST
Reason: SelfAttested

Scanned by TapScanner

राजस्व रेकर्ड में अंकित गलत नाम इन्द्राज शंकरलाल के स्थान पर सकाराम सही नाम घोषित करवाने का निवेदन किया गया।

प्रतिवादीगण संख्या 1 राजस्थान राज्य की तरफ से ईकबाली जबाबदावा पेश कर वादी के वाद पत्र के समस्त तथ्यों को सही होना स्वीकार किया गया एवं वादी का बचपन नाम शंकरलाल पुत्र वरदा के स्थान पर सकाराम पुत्र वरदाराम दुरूस्ती की जाती है, तो उन्हे कोई आपत्ति व उज्र एतराज नहीं है।

वाद पत्र में अंकित तथ्यों की जांच सहायक प्रभारी अधिकारी नायब उप तहसीलदार जसोल तहसील पचपदरा से करवाई गई। राजस्थान राज्य की ओर से जवाब प्रस्तुत किया गया जिसमें नाम दुरूस्ती करने की सहमति प्रकट की गई है।

हमनें पत्रावली का गहनता से अवलोकन किया गया बाद अवलोकन पाया गया कि खेत खसरा नं 208 रकबा 7–18 बीघा, सरहद मौजा रामसीन, पटवार क्षेत्र रामसीन भू अभिलेख निरीक्षक क्षेत्र बालोतरा वादी का नाम बचपन में लाड–प्यार का नाम शंकरलाल दर्ज किया गया वादी द्वारा साक्षी में प्रस्तुत दस्तावेजात में अर्थात अन्य सरकारी व अन्य अर्द्वसरकारी दस्तावेजों सरंपचं ग्राम पंचायत रामसीन एवं उपतहसीलदार जसोल की जांच रिपोर्ट के अवलोकन स्पष्ट साबित है कि वादी के बचपन का नाम शंकरलाल दर्ज किया गया है वादी का सही नाम सकाराम है, ऐसी स्थिति में वादी के वाद को स्वीकार करने में कोई आपत्ति प्रतीत नहीं होती है ।

पीठासीन अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर
बालोतरा, प्रशासन गांवों के संग अभियान 2021
केम्प ग्राम पंचायत _____ प.स. _____

Signature Not Verified
Digitally signed by Naresh Soni
Date: 2022.05.14 18:42:25 IST
Reason: SelfAttested

Scanned by TapScanner

उपरोक्त विवेचन के आधार वादी के वाद को स्वीकार किया **जाकर** खेत खसरा नं 208 रकबा 7–18 बीघा, सरहद मौजा रामसीन, पटवार क्षेत्र रामसीन भू अभिलेख निरीक्षक क्षेत्र बालोतरा **वादग्रस्त आराजी में वादी का गलत नाम शंकरलाल पुत्र वरदा के स्थान पर सकाराम पुत्र वरदाराम घोषित किया** जाता है। तहसीलदार पचपदरा को आदेशित किया जाता है कि वे तदनुसार राजस्व रेकर्ड में अमलदरामद करना सुनिश्चित करें।

निर्णय आज दिनांक 09.10.2021 को कोर्ट केम्प रामसीन में मजमे आम में सुनाया गया।

सहायक कलेक्टर (S.D.O.) बालोतरा

(नरेश सोनी)

पीठासीन अधिकारी उपखण्ड अधिकारी पदेन सहायक कलक्टर
बालोतरा, प्रशासन गांवों के संग अभियान 2021
केम्प ग्राम पंचायत.................. प.स..........

Signature Not Verified
Digitally signed by Naresh Soni
Date: 2022.05.14 18:42:25 IST
Reason: SelfAttested

Scanned by TapScanner